प्रकरण संख्या 22/2019 RCMS ID-2019/00164 तारीख रजु–14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

श्री रामेश्वर पुत्र हटीलाराम जाति ब्राह्मण निवासी कटकड़ करौली – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–23.10.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री रामेश्वर पुत्र हटीलाराम जाति ब्राह्मण, निवासी करौली जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 13.11.2008 जिसके द्वारा श्री ब्राह्मण का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 7/2013 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 10.06.2016 को निर्णय पारित करते हुये श्री ब्राह्मण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री ब्राह्मण को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री ब्राह्मण को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया।

श्री ब्राह्मण के पुत्र दामोदर लाल शर्मा उपस्थित हुए जिन्होंने अवगत कराया कि श्री रामेश्वर ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी है। साक्ष्य के रूप में श्री ब्राह्मण का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया। अंत में शस्त्र को बहाल कर श्री शर्मा के नाम हस्तांतरण फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि श्री ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी है। शस्त्र अनुज्ञापत्र को हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान नहीं है। अंत में श्री ब्राह्मण को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। श्री रामेश्वर ब्राह्मण की मृत्यु होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री ब्राह्मण को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली